न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर (20)

प्र०क्र०- R-1034-I/13

क्रमांक 892
स्पीड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 7/3/13 को प्राप्त
रजिस्ट्रार, रेवेन्यू बोर्ड
म.प्र. ग्वालियर

श्यामलसिंह पिता गोविंदसिंह पवाँर,
निवासी लदुना तह. सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र. ------ निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुधीर भार्गव पिता श्री कृष्णवल्लभजी भार्गव,
   निवासी सीतामऊ तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र.
2. पटवारी, मोजा सीतामऊ ---प्रतिप्रार्थी/विपक्षीगण

पुर्नरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

R-M

माननीय महोदय,

न्यायालय तहसीलदार सीतामऊ के प्र.क्र. -5 अ 6अ/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2011 के विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय कलेक्टर महोदय मंदसौर के यहाँ एक निगरानी एवं धारा 52 का आवेदन मय शपथपत्र के दिनांक 7.1.2012 को प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय कलेक्टर महोदय मंदसौर द्वारा निगरानी में उभयपक्ष की बहस श्रवण की गई तथा दिनांक 5.2.2013 को इस आदेश के तहत निरस्त कर दी गई कि नवीन संशोधन में इस न्यायालय को निगरानी सुनने का अधिकार प्राप्त नही है, मूल निगरानी श्रीमान् के यहाँ प्रस्तुत करने हेतु लोटा दी गई ।

अत: निगरानीकर्ता की मूल निगरानी मय धारा 52 का आवेदन, शपथपत्र तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीतामऊ का आदेश दिनांक 31.12.2011 की नकल तथा न्यायालय कलेक्टर महोदय मंदसौर का निगरानी निरस्त का आदेश दिनांक 5.2.2013 की प्रतिलिपी सहित सुनवाई हेतु सादर प्रस्तुत है ।

दिनांक - 21.2.2013, मंदसौर

संलग्न :- ७

निगरानीकर्ता

श्यामलसिंह पिता गोविंदसिंहजी पवाँर
निवासी लदुना तह. सीतामऊ जिला मंदसौर
द्वारा अभिभाषक
21-2-13

मूल निगरानी -1
धारा 52 का आवेदन पत्र मय शपथपत्र
न्यायालय तहसीलदार सीतामऊ के आदेश की प्रमाणित प्रति,
न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर जिला मंदसौर के निगरानी आदेश दि. 5.2.2013 को प्रति

(15)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1034–एक / 13 जिला – मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.9.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता एवं अनावेदक शासकीय अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने उनके समक्ष संहिता की धारा 32 सहपठित 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया है कि शासन से प्राप्त कोई भी भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं की जा सकती है और उन्होंने आवेदन निरस्त करते हुए प्रकरण जबाव हेतु नियत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	